



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1341/2020

मुकुट बिहारी एवं अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अजय शर्मा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

इस याचिका पर बल देने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

यह जनहित याचिका वर्ष 2020 में निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दायर की गई थी:-

"1. परमादेश की प्रकृति में एक आदेश, निर्देश या रिट जारी करते हुए विपक्षी संख्या 3 एवं 4 को ग्राम पंचायत दौलतपुर, ब्लॉक त्रिवेदीगंज, जिला बाराबंकी में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के नाम पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के संबंध में जांच प्रारंभ करने का आदेश दे।

2. परमादेश की प्रकृति में एक आदेश, निर्देश या रिट जारी रिट जारी करते हुए विपक्षी संख्या 2 और 3 को आदेश दे कि यदि अभिलेख पर ऐसी सामग्री प्रस्तुत होती है जिससे पता चलता हो कि ग्राम पंचायत दौलतपुर, ब्लॉक-त्रिवेदीगंज, जिला बाराबंकी में शौचालयों के निर्माण के नाम पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के धन का दुरुपयोग

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हुआ है, तो दोषी व्यक्ति/अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए।"

समय बीत जाने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विरोधी पक्षकारण ने कोई प्रतिशपथपत्र दायर नहीं किया है, हम याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों या सक्षम प्राधिकारियों से अपनी शिकायत के संबंध में संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जो विधि के अनुसार मामले की जांच कर सकते हैं, या अन्य उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

तदनुसार याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

20 फरवरी, 2026

नितेश